

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
एफ0 ए0 संख्या-73/2013
के साथ
आई0 ए0 संख्या 4552/2013

1. शाहीना परवीन, पति-शाहब अहमद
2. सना अमरीन नाबालिग बेटी, शाहब अहमद जो अपनी माँ शाहिन परवीन के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया, वर्तमान में काबरा खुर्द, थाना-हैदर नगर, डाकघर-काबरा खुर्द, जिला-पलामू में निवास करती है।

..... अपीलकर्तागण

बनाम्

शाहब अहमद, पुत्र-श्री अनीश अहमद, मोहल्ला-पहाड़ी कुंड, डाल्टनगंज टाउन, डाकघर और थाना-मेदिनी नगर टाउन, जिला-पलामू।

..... प्रतिवादी

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री वीरेन्द्र सिंह, मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री डी0 एन0 पटेल

अपीलार्थी के लिए :- श्री जय शंकर त्रिपाठी, अधिवक्ता।

आदेश सं0 11: दिनांक 12 दिसम्बर, 2014

वीरेन्द्र सिंह, मु0 न्याया0 के अनुसार,

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि अपीलकर्ता संख्या 1 को आक्षेपित आदेश को क्रियान्वयन करने हेतु और यदि परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो तो भरण-पोषण के बढ़ोतरी हेतु भी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 128 के तहत एक आवेदन को दाखिल करने की सलाह दी जाएगी। इसलिए तत्काल अपील को वापस लेने के लिए प्रार्थना करते हैं।
2. इस अपील को तदनुसार वापस लेने के वजह से खारिज कर दिया जाता है।
3. परिणामस्वरूप, आई0 ए0 संख्या 4552/2013 का भी निपटारा किया जाता है।

(वीरेन्द्र सिंह, मु0 न्याया0)

(डी0 एन0 पटेल, न्याया0)